न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 510 सन 2018

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा बास तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा।
2. कमला पुत्री हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा बास तहसील भादरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 06/01/19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 40/30 के खसरा न0 89/1 की 0.2280हैक , खसरा न0 92/1 की 6.7450हैक कुल 6.9730हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा हनुमान प्रसाद का है।

वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा गुगनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता हनुमान प्रसाद के नाम से दर्ज हुई वादी के पिता हनुमान प्रसाद का भी देहान्त हो गया हे जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गुगनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता हनुमान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिनका देहान्त हो चुका है हनुमान प्रसाद के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता हनुमान प्रसाद के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर हनुमान प्रसाद के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हनुमान प्रसाद के नाम से दर्ज हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता हनुमान प्रसाद का भी देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 40/30 के खसरा न0 89/1 की 0.2280हैक , खसरा न0 92/1 की 6.7450हैक कुल 6.9730हैक में से हनुमान प्रसाद के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)